

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्राम पंचायत- परजपुर विभाग- अमरगढ़ जनपद- पैदाही

ग्राम पंचायत के विवेक 2011 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित स्तर पर चर्चा किया गया-

1- ग्राम पंचायत को एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित सदस्यों को सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	व्यक्तिगत (पहिला / अनुसूचित / जनजाति / अन्य / पेशे के आधार पर)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क नं० मोबाईल नं०
1	अध्यक्ष		अध्यक्ष	
2	सचिव		सचिव	
3	कोषाध्यक्ष		कोषाध्यक्ष	
4	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
5	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
6	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
7	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
8	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
9	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
10	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
11	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
12	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
13	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
14	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	
15	सामान्य सदस्य		सामान्य सदस्य	

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला स्वच्छता मिशन स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करे और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

उत्तर-
ग्राम पंचायत-परजपुर
विभाग-अमरगढ़ जिला-पैदाही

5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।

11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगूठों
1	रम्भा देवी	अध्यक्ष	रम्भा
2	दिलीप कुमार	सचिव	
3	विश्वकृष्ण	कोषाध्यक्ष	विश्वकृष्ण
4	सुरेश्वर हाडुरसिंह	सामान्य सदस्य	सुरेश्वर हाडुर
5	उमाशंकर सिंह	सामान्य सदस्य	उमाशंकर
6	विश्वराम सिंह	सामान्य सदस्य	विश्वराम
7	शिव कुमार	सामान्य सदस्य	शिव कुमार
8	मोहन	सामान्य सदस्य	मोहन
9	शांति प्रकाश	सामान्य सदस्य	शांति प्रकाश
10	मीता देवी	सामान्य सदस्य	मीता देवी
11	रम्भा देवी	सामान्य सदस्य	रम्भा देवी
12	रत्ना देवी	सामान्य सदस्य	रत्ना देवी
13	सरोज देवी	सामान्य सदस्य	सरोज देवी
14	साधना	सामान्य सदस्य	साधना
15	जाकली	सामान्य सदस्य	जाकली

रम्भा
ग्राम पंचायत-परऊपुर
वि०ख०अमोली, जिला भदोही